

कार्यालय, जिलाधिकारी, फैजाबाद।

पत्रांक- डी०टी०ओ०/त०नि०का०/2017-18/ 376-3।

दिनांक- 26/12/17

आदेश

जनपद फैजाबाद के समस्त सार्वजनिक स्थानों व शैक्षणिक संस्थानों के परिसर को धूम्रपान मुक्त घोषित करने एवं "सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय, और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003" (COTPA) की धारा 4, 5, 6, 7 के पूर्ण परिपालन कराने हेतु निम्न प्रकार की टीम का गठन किया जाता है तथा सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह नीचे दिए गए दिवस को प्रातः 11 बजे से समस्त सार्वजनिक स्थानों, तम्बाकू विक्रेताओ/दुकानों, शिक्षण संस्थाओ, तम्बाकू उत्पाद निर्माण स्थल आदि स्थानों में (कोटपा अधिनियम-2003) का उल्लंघन करने वालो के सम्बन्ध में जांच/छापा मारने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे और अपनी आख्या प्रत्येक माह उपलब्ध कराये-

टीम न०-1-फैजाबाद (प्रथम शनिवार)

1. सिटी मजिस्ट्रेट, फैजाबाद
2. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फैजाबाद
3. ए.आर.ओ, फैजाबाद
4. नगर शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद
5. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नगर फैजाबाद
6. प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, फैजाबाद
7. रीजनल कोऑर्डिनेटर, यू०पी०वी०एच०ए०

टीम न०-2-फैजाबाद (द्वितीय बुधवार)

1. उप जिला अधिकारी, सदर, फैजाबाद
2. उप मुख्य चिकित्साधिकारी, फैजाबाद
3. बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद
5. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फैजाबाद
6. क्षेत्राधिकारी नगर, फैजाबाद
7. प्रतिनिधि, ग्लोबल पाथ, फैजाबाद

टीम न०-3-फैजाबाद (तीसरा शनिवार)

1. उप जिला अधिकारी सुश्री ज्योति सिंह
2. जिला क्षयरोग अधिकारी, फैजाबाद
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, फैजाबाद
4. एस.एच.ओ. कोतवाली नगर, फैजाबाद
5. क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज, फैजाबाद
7. प्रतिनिधि, ग्लोबल पाथ, फैजाबाद

टीम न०-4- अयोध्या (चौथा सोमवार)

1. रेजिडेंट मजिस्ट्रेट, अयोध्या
2. उप जिला अधिकारी श्री रवि प्रताप श्रीवास्तव
3. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीराम अस्पताल, अयोध्या

4. क्षेत्राधिकारी, अयोध्या
5. एस.एच.ओ. अयोध्या
6. खंड शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद


जिलाधिकारी
फैजाबाद ।

पत्रांक- डी०टी०ओ०/त०नि०का०/2017-18/ 376-31

तददिनांक- 26/12/17

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ-

1. मंडलायुक्त महोदय, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद को अवलोकनार्थ ।
2. अपर पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक (नगर/ग्रामीण), फैजाबाद को इस आशय से प्रेषित की उक्त अभियान/कार्य में आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करे ।
3. सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फैजाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त के सम्बन्ध में अपने विभाग की टीम को निर्देशित करे की वह उक्त दिनों में सम्बंधित अधिकारियों से संपर्क कर समय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे ।
5. सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही एवं अभियान में शामिल होने हेतु ।


जिलाधिकारी
फैजाबाद ।